कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

–:: आदेश ::–

क्रमांक– 416/दो–11–3/2007 बिलासपुर, दिनांक 04 **जुलाई, 2024**

कार्यालयीन आदेश क्रमांक– 288/दो–11–3/2007, बिलासपुर दिनांक 06 मई, 2024 के अंतर्गत इस स्थापना में कोर्ट मैनेजर के अमला भृत्य (संविदा) के पद पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप चयन समिति द्वारा प्रेषित भृत्य (संविदा) के प्रतीक्षा सूची से निम्नांकित अभ्यर्थी को भृत्य (संविदा) के पद पर एकमुश्त मासिक वेतन रूपये 11,360/– (एकमुश्त राशि ग्यारह हजार तीन सौ साठ रूपये प्रतिमाह) पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकिंत शर्तों के अधीन पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :–

स.क्रं.	**चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पति का नाम**	**चयनित अभ्यर्थी का पता**	**वर्ग**	**नियुक्ति का पद**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	श्रीमती सोनिया घल्ले पति– श्री चमन घल्ले	द्वारा श्री जयेश खोप्रागड़े, राधा कृष्ण मंदिर, पचरीपारा, दुर्ग छ0ग0, पिन–491001	अनारक्षित (मुक्त)	भृत्य (संविदा)

नियुक्ति की शर्तें :–

1. अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
2. अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
4. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, कर्मचारी स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते हैं तो 01 माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो 01 माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले 01 माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
5. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणित/तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायांप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
6. नियुक्त अभ्यर्थी को दिनांक **19–07–2024** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
7. यदि चयन/नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी/कूटरचित दस्तावेज आदि पाई जाए अथवा किसी विधि, नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति/सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
4 बिलासपुर (छ0ग0)

पृष्ठांकन क्रमांक–1192/दो–11–3/2007 बिलासपुर, दिनांक 04 **जुलाई, 2024**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक–1931/तीन–18–29/2008, बिलासपुर, दिनांक 12–03–2013 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश की प्रति जिला न्यायालय बिलासपुर की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सहायक प्रोग्रामर को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
3. लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्रीमती सोनिया घल्ले, पति–श्री चमन घल्ले, पता– द्वारा श्री जयेश खोप्रागड़े, राधा कृष्ण मंदिर, पचरीपारा, दुर्ग छ0ग0, पिन–491001 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर (छ0ग0)